न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 129/2022

1 नजीर आयु 88 साल पुत्र स्व. सरफुदीन जाति कसाई मुसलमान निवासी नूंआ तहसील हाल मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 आमीन आयु 60 साल पुत्र स्व. सरफुदीन जाति कसाई मुसलमान निवासी नूंआ तहसील हाल मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 याकूब आयु 65 साल पुत्र स्व. सरफुदीन जाति कसाई मुसलमान निवासी नूंआ तहसील हाल मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 लिछमणराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी कमल नगर तन नूंआ तहसील व जिला झुन्झुनूं (हाल तहसील मण्डावा)(मृतक)
2 भगवान सिंह पुत्र स्व. दिवगंत लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम कमल नगर तन नूंआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं हाल तहसीलदार मण्डावा राज.।
4 आमीना आयु 70 साल पत्नी स्व. अब्दुल करीम जाति कसाई मुसलमान निवासी नूंआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 सतार अली उम्र 50 साल पुत्र स्व. अब्दुल करीम जाति कसाई मुसलमान निवासी नूंआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 जब्बार उम्र 46 साल पुत्र स्व. अब्दुल करीम जाति कसाई मुसलमान निवासी नूंआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7 वासिद उम्र 56 साल पुत्र स्व. अब्दुल करीम जाति कसाई मुसलमान निवासी नूंआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
8 आसिफ उम्र 30 साल पुत्र स्व. अब्दुल करीम जाति कसाई मुसलमान निवासी नूंआ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
9 मदीना आयु 40 साल पुत्री स्व. अब्दुल करीम पत्नी मौ. सालिम जाति कसाई मुसलमान निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. ।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध आदेश एवं निर्णय अधिनस्थ
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं मुकदमा
उनवानी लिछमणराम बनाम नजीर वगै. मु.नं.
87/2017 आवेदन अ. धारा 251 ए राज. टि. एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री फैयाज अहमद, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शंकरलाल मीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2017 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 41, 42, 43 वाके ग्राम कमलनगर तन नूंआ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 19.08.2021 मे अंकित है कि पेश करने तलबी मृतक विपक्षी नम्बर 2 के वारिसान व आवश्यक संशोधन हेतु पत्रावली दिनांक 15.09.2021 को पेश हो। इस ऑर्डरशीट के मुताबिक विपक्षी नम्बर 2 के वारिसान की कभी कही भी तलबी ही नहीं करवाई गई है जिससे आदेश/निर्णय जेर अपील पूर्णतया शून्य प्रभावी **null & void ab initio** होना विधिक प्रावधानो अनुसार पूर्णतया स्पष्ट है क्योंकि आवेदन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी झुन्झुनूं • सीकर •

दिनांक 26.10.2012 में लिछमणराम ने विपक्षी संख्या 2 अब्दुल करीम को अनावेदक बनाया है उसके दिनांक 26.03.2019 का फौत होने के बाद उसके वारिसान को तलब ही नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि उसकी कोई सुनवाई होने का कही कोई सबूत नही है। अपील आदेश/निर्णय दिनांक 20.06.2022. पारित करने से पूर्व पत्रावली में अंकित आर्डरशीट दिनांक 24.05.2022 में दर्ज है कि वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.2022 हेतु दिनांक 08.06.2022 को पेश हो। दिनांक 11.05.2022 को अपीलान्टस की और से न्यायालय में मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 26.04.2022 मौका रिपोर्ट तहसीलदार गिरदावर हल्का दिनांक 06.04.2022 पर एतराजात लिखित पेश किये गये थे जिसके जवाब में लिखित जवाब अधिवक्ता आवेदक रेस्पोडेन्ट दिनांक 24.05.2022 को प्रस्तुत किया। आदेश व निर्णय जैर अपील में इस पर कोई गौर किया गया है ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है जबकि मूल प्रार्थना पत्र बहस की कोई पेशी ही नहीं गई थी और ना ही उस पर कोई बहस हुई इसलिए सुनवाई ही नहीं की गई जबकि दिनांक 08.06.2022 को प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट पर बहस सुनवाई चैम्बर में करते करते श्रीमान पीठासीन अधिकारी बैंच उठाकर चले गये थे बिना कुछ भी बताये। पत्रावली अपने पास ही रखी कुछ दिन बाद आगामी तारीख पेशी 20.06.2022 रीडर द्वारा बताई गई दिनांक 20.06.2022 को कोई आदेश/ निर्णय नहीं सुनाया गया जबकि दिनांक 05.07.2022 को आदेश करना रीडर ने बताया तथा उसी दिन नकले आदेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब दिनांक 06.07.2022 को नकल आदेश प्राप्त हुई है। अपील आदेश प्राप्त करने वाल पक्ष की खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 41, 42, 43 कानूनन अवैध व शुन्य प्रभावी है क्योंकि उक्त कृषि भूमि के पूर्व सहखातेदार एस.सी. समुदाय से रहे है जिनकी कृषि भूमि किसी अन्य जोन एस.सी. समुदाय सदस्य के नाम दर्ज नहीं हो सकती है। यदि दर्ज हो जाती है तो **ab inito void** शुन्य प्रभावी है। अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 45 में एक रास्ता खसरा नम्बर 46 पूर्व में कटानी किया जा चुका है अब दुसरा खसरा नम्बर 220/45 कटानी किया जाना खातेदार के साथ कानूनी गलत है। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार भी रास्ता का आदेश नहीं दिया गया है। आवेदक/रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 55, 56 में से मौके पर चालु है जो आम रास्ता है जिसमें कोई रूकावट नहीं है और

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेन्ट अपने अन्य खेत खसरा नम्बर 76 में जाने के लिए उपयोग, उपभोग करता है खसरा नम्बर 76 भी खसरा नम्बर 41, 42, 43 से दक्षिण में एक खेत छोड़ कर ही है। अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं दिनांक 20.06.2022 अवैध व अवैधानिक होने से निरस्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 41, 42, 43 वाके ग्राम कमलनगर तन नूंआ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 12.12.2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम करते हुए मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण नजीर वगै. को करने का आदेश पारित किया गया था। जिसमें व्यथित होकर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 वगै. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर आदेश पारित किया गया। जिसमें व्यथित होकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2017 के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर जिला कलक्टर झुन्झुनूं दिनांक 13.02.2017 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 का पारित निर्णय अपास्त किये जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के नियम 69 की पूर्ण पालना करते हुए पक्ष को सुनकर पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर प्रस्तुत प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय ने निर्देशों की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट बाबत भूमि खसरा नम्बर 41, 42, 43 वाके ग्राम कमलनगर तन नूंआ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 12.12.2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम करते हुए मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण नजीर वगै. को करने का आदेश पारित किया गया था। जिसमें व्यथित होकर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 वगै. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर आदेश पारित किया गया। जिसमें व्यथित होकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2017 के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2017 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 का पारित निर्णय अपास्त किये जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के नियम 69 की पूर्ण पालना करते हुए पक्ष को सुनकर पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर प्रस्तुत प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अनावेदक संख्या 2 अब्दुल करीम के विधिक वारिसान को नोटीस जारी किये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने माननीय मण्डल के आदेश की पालना में प्राप्त मौका

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रिपोर्ट का विवेचन विश्लेषण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्टस के खेत खसरा नम्बर 45 में एक रास्ता खसरा नम्बर 46 पूर्व में कटानी किया जा चुका है अब दुसरा खसरा नम्बर 220/45 कटानी किया जाना विधि सम्मत नहीं है। आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार भी रास्ता देने का आदेश नहीं दिया गया है। आवेदक/रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 55, 56 में से मौके पर चालु है जो आम रास्ता है जिसमें कोई रूकावट नहीं है और रेस्पोडेन्ट अपने अन्य खेत खसरा नम्बर 76 में जाने के लिए उपयोग, उपभोग करता है खसरा नम्बर 76 भी खसरा नम्बर 41, 42, 43 से दक्षिण में एक खेत छोड़ कर ही है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की इन आपत्तियों पर विवेचन कर विधिवत निस्तारण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अखिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर